INDIA दस रुपये TEN RUPEES INDIA बीस रुपये TWENTY RUPEES

(72)

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

पुनरीक्षण प्रकरण क्रमांक /2016 जिला–सिगरौली निग -8 अ-II-16

गयांप्रसाद साहू पुत्र श्री सुबरन साहू
निवासी – ग्राम गोन्दवाली तहसील देवसर,
जिला – सिंगरौली (म.प्र.)

-- आवेदक

बनाम

1– म.प्र. शासन

2– हल्का पटवारी गोन्दवाली तहसील देवसर, जिला – सिंगरौली (म.प्र.)

-- अनावेदकगण

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी देवसर द्वारा प्रकरण क्रमांक 113/2015–16 अपील में पारित आदेश दिनांक 23.02.2016 के विरूद्ध मध्य प्रदेश भू–राजस्व संहिता की धारा 50 के अधीन पुनरीक्षण।

माननीय महोदय,

आवेदक की ओर से यह पुनरीक्षण निम्न तथ्यों एवं आधारों पर न्यायदान हेतु प्रस्तुत है :–

मामले के संक्षिप्त तथ्य :

1– यहकि, ग्राम गोन्दवाली में स्थित भूमि खसरा क्रमांक पुराना 5 के बंदौबस्त में बनाये गये नये नं. 1058/1 रकवा 1.20 है0 आवेदक के स्वत्व स्वामित्व एवं अधिपत्य की भूमि है। इसी भूमि से लगे हुये सर्वे क्रमांक 1058/2 में राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 75 बनाया गया है।

2– यहकि, आवेदक की भूमि खसरा क्रमांक 1058/1 राष्ट्रीय राजमार्ग से 100 मीटर की दूरी पर है ऐसी स्थिति में राष्ट्रीय राजमार्ग में आवेदक की भूमि से किसी भी प्रकार का कोई व्यवधान नहीं है किन्तु इसके बावजूद तहसीलदार देवसर द्वारा प्रकरण क्रमांक 16/अ–68/2015–16 पंजीबद्ध कर आवेदक को एक सूचना पत्र दिनांक 13.01.2016 को इस आशय से जारी किया कि आपके द्वारा शासकीय भूमि खसरा नं. 1058/1 रकवा 0.600 है0 पर स्थायी निर्माण कर अतिक्रमण किया है। इसलिये आप दिनांक 20.01.2016 को उपस्थित हो। उपस्थित न होने की दशा में कुल मूल कीमत का 20 प्रतिशत अर्थदण्ड आरोपित किया जायेगा। उक्त सूचना पत्र का आवेदक द्वारा जबाव प्रस्तुत किया गया एवं बताया गया कि उनके द्वारा कोई अवैध अतिक्रमण नहीं किया है बल्कि भूमि खसरा क्रमांक 1058/1 उनके स्वत्व स्वामित्व एवं अधिपत्य की भूमि है जो उनके पूर्वजो के नाम से राजस्व अभिलेखों में चली आ रही है। उक्त भूमि के कुछ भू–भाग पर आवेदक के पूर्वजो द्वारा मकान निर्माण किया गया है। ऐसी स्थिति में उक्त निर्माण अवैध नहीं है साथ ही साथ यह निवेदन किया कि बिना किसी अधिकार के आवेदक का नाम राजस्व अभिलेख से हटाया गया है इस संबंध में पृथक से आवेदन पत्र तहसीलदार देवसर के न्यायालय में प्रस्तुत किया है जो विचाराधीन है। ऐसी स्थिति में सूचना पत्र के अनुसार कार्यवाही किया जाना नैसर्गिक दृष्टि से उचित नहीं है। और अन्त में सूचना पत्र समाप्त किये जाने

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक–निगरानी–824–दो/2016 जिला–सिंगरौली

गयाप्रसाद साहू विरूद्ध म.प्र. शासन व अन्य

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों के हस्ताक्षर
05–03–2019	प्रकरण प्रस्तुत। आवेदक की ओर से श्री धर्मेन्द्र चतुर्वेदी अभिभाषक उपस्थित। आवेदक द्वारा यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी देवसर, जिला–सिंगरौली के प्रकरण क्रमांक 113/2015–16/अपील में पारित आदेश दिनांक 23–02–2016 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 में दिनांक 25–9–2018 को हुए नवीन संशोधन के फलस्वरूप संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण कलेक्टर, जिला–सिंगरौली के न्यायालय को अंतरित किया जाता है। 2/ पक्षकार दिनांक 03–05–2019 को कलेक्टर के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हों। (आर0के0 जैन) सदस्य 5/3/19	